निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां ज़िला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :—23 / 2020
दायरा दिनांक :— 06.07.2020
निर्णय दिनांक :— 18.07.2023

उनवान

1. प्रकाश बाई पत्नी श्री महेन्द्र कुमार जाति माली निवासीगण ग्राम बड़ां तहसील बारां
2. ज्योति सुमन पुत्री श्रीमहेन्द्र कुमार जाति माली निवासीगण ग्राम बड़ां तहसील बारां

बनाम

1. पुरूषोत्तम पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी बड़ां तहसील बारां जिला बारां राज0
2. हरिश पुत्र पुरूषोत्तम जाति माली निवासी बड़ां तहसील बारां जिला बारां राज0
3. निर्मलापुत्री पुरूषोत्तम पत्नी बद्रीलाल जाति माली निवासी बड़ां हाल फतेहपुर तहसील बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :— 18.07.2023

अभिभाषक उपस्थित :—1. श्री गजेन्द्र नागर एड0— वादी
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी एड0— प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आंशय का पेश किया गय कि वाके ग्राम बडां तहसील बारां में खाता सं0 नया 271 पुराना 0 से खसरा नं0 20 रकबा 1.37 हे0, खसरा नं0 21 रकबा 2.25 हे0 खसरा नं0 270 रकबा 1.21 हे0, खसरा नं0 315 रकबा 0.51 हे0, खसरा नं0 577 रकबा 0.02 हे0, खसरा नं0 590 रकबा 0.08 हे0, खसरा नं0 640 रकबा 0.20 हे0, खसरा नं0 649 रकबा 0.12 हे0, खसरा नं0 99 रकबा 0.80 हे0 कुल किता 9 कुल रकबा 6.56 हे0 स्थित है, जो राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी कम 1 पुरूषोत्तम की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजियात वाद की विषय वस्तु है। उक्त विवादित आराजियात पुश्तैनी आराजियात है, जो अप्रार्थी कम 1 को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुयी है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 2 व 3, अप्रार्थी कम 1 के जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी है, जिनका विवादित आराजियात में जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त है। उक्त विवादित [illegible] वर्तमान में अप्रार्थी कम 1 की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी कम [illegible] उत्तराधिकारी वादीगण के पिता व पति मृतक महेन्द्र कुमार, अप्रार्थी कम 2 हरिश व [illegible] कम 3 निर्मला है। सम्पूर्ण विवादित आराजियात में प्रार्थीगण का 1/4, अप्रार्थी कम 1, [illegible] 3 का प्रत्येक का 1[illegible]/4 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:57:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

बनता है। जिसे प्रार्थीगण, पृथक करवाकर अपनी खातेदारी में दर्ज करवा पाने के अधिकारी व नालिशी है। अप्रार्थी कम 1, अप्रार्थी कम 2 से मिलीभगत करके अप्रार्थी कम 1 अपने हिस्से की विवादित आराजियात को रहन बेचान व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जिसका अप्रार्थी कम 1 व 2 किसी भी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि विवादित आराजियात पुश्तैनी है, जिस पर प्रार्थीगण का बराबर हक व अधिकार प्राप्त है। इस कारण प्रार्थीगण सम्पूर्ण विवादित आराजियात में जो प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है, की घोषणा करवाकर प्रार्थीगण पृथक से अपनी खातेदारी में दर्ज करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है।

दिनांक 30.05.2020 को प्रार्थीगण को जब इस बात की जानकारी हुई कि अप्रार्थी कम 1 व 2 विवादित आराजियात को बेचान कर रहे है, तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थी कम 1 व 2 से कहा कि मुझे जानकारी मिली है, कि आप उक्त विवादित आराजियात में अप्रार्थी कम 1 का हिस्सा को बेचान व खुर्द बुर्द करना चाहते है। इस पर अप्रार्थी कम 1 ने प्रार्थीगण से कहा कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम दर्ज है, मैं चाहू जो करू। मुझे विवादित आराजियात को रहन बेचान करने से रोकने का किसी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। इस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी कम 1 व 2 को उक्त विवादित आराजियात को बेचान करने से बेचान करने से मना किया तो अप्रार्थी कम 1 व 2 ने कहा कि अब हम विवादित आराजियात को रहन बेचान या खुर्द बुर्द करके रहेंगे। जिसका अप्रार्थी कम 1 व 2 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। अस्तु प्रार्थीगण, अप्रार्थी कम 1 व 2 के विरूद्ध अविलम्ब अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है। यदि अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपार क्षति पूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगी व अनन्य मुकदमे बाजी में उलझना पड़ेगा। प्रार्थीगण का मुकदमा प्रथम दृष्टया सिद्ध है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बड़ां सम्वत् 2073–75 खाता सं0 271 पेश की गई। अप्रार्थीगण द्वारा फोटोप्रति रजिस्टर्ड विकय पत्र, पुरूषोत्तम, रामस्वरूप, राजेन्द्र, मूली लाल का शपथ पत्र पेश किया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। विवादित आराजी वाके ग्राम बड़ां तहसील बारां में स्थित है। वि[illegible] शामलाती भूमि है। जिसे हरिश व पुरूषोत्त बेचने पर आमादा है विवादित आरा[illegible] पत्र [illegible] आराजी है। भूमि के बटंवारा होने तक स्थगन आदेश दिया जावे। प्रति[illegible] कर दिया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी। विवादित आराजी पर मूल [illegible] के निर्णय तक स्थगन आदेश जारी किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:57:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

जावे। प्रतिवादी कम 1 द्वारा पूर्व में भी भूमि का बेचान कर चुके है। फिर भी विवादित आराजी का बेचान करने पर आमादा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अप्रार्थी कम 1 पुरूषोत्तम पर 25 लाख का कर्ज हो गया था। महेन्द्र की मृत्यु के बाद ज्योति की पढाई लिखाई एवं अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा गया तथा प्रकाश बाई व ज्योति को भूमि बेचकर मकान बनवाया तथा कर्जा चुकाया, हरिश को भी मकान बनवाया था। इस प्रकार परिवार की सारी जिम्मेदारी प्रतिवादी कम 1 पर है। वादिया को उनके हिस्सेकी 1/5 भूमि दे रखी है। यह भूमि को मुनाफा पर देती है। और मुनाफा लेती है वादिया द्वारा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बड़ां सम्वत् 2072–75 खाता सं0 271 के अनुसार विवादित आराजी प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी में दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादीया कम 1 के ससुर एवं वादिया कम 2 के दादाजी के खातेदारी की है। वादिया कम 1 एवं वादिया कम 2 के पिता महेन्द्र द्वारा खसरा नं0 270 रकबा 1.21 हे0 वाके माल बड़ां की 19,06,000/– में श्रीमती पूर्णिमा दाधीच को बेचान कर दी थी। प्रार्थिया के पति एवम् पिता के मरने के बाद उनके जीवन यापन करने के लिए उनका हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है यदि उनके हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी कम 1 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम बड़ां के खसरा नं020 रकबा 1.37 हे0, खसरा नं0 21 रकबा 2.25 हे0 खसरा नं0 270 रकबा 1.21 हे0, खसरा नं0 315 रकबा 0.51 हे0, खसरा नं0 577 रकबा 0.02 हे0, खसरा नं0 590 रकबा 0.08 हे0, खसरा नं0 640 रकबा 0.20 हे0, खसरा नं0 649 रकबा 0.12 हे0, खसरा नं0 99 रकबा 0.80 हे0 कुल किता 9 कुल रकबा 6.56 हे0 पर मूल वाद के निर्णय तक रहन बेचान नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:57:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय लिखाया जा कर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner